राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांकः–प.6(26) प्र.सु/अन–3/2009 जयपुर, दिनांक : 02-08-2016

आज्ञा

राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा विषय के लिए गठित "नेशनल रोड सेफ्टी कौंसिल" के अनुसार इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.07.2009 के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार "स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल" का गठन किया गया था। कौंसिल में व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में दिनांक 08.12.2015 को जारी की गई आज्ञा को अतिष्ठित करते हुए इस समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित करने की महामहीम राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. माननीय परिवहन मंत्री	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह	सदस्य
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
4. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान	सदस्य
5. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
8. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
9. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
10. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
11. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग	सदस्य
12. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त	सदस्य सचिव
14. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग	सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
16. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान	सदस्य
17. मुख्य अभियंता, (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
18. महाप्रबन्धक, एन.एच.ए.आई, जयपुर	सदस्य
19. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजीनियर)	सदस्य
20. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	सदस्य
21. चार पहिया मोटर वाहन निर्माता का एक प्रतिनिधि	सदस्य
22. दुपहिया मोटर वाहन निर्माता का एक प्रतिनिधि	सदस्य
23. चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स का एक प्रतिनिधि	सदस्य

24. दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स का एक प्रतिनिधि — सदस्य
25. ट्रक ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि — सदस्य
26. स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि — सदस्य
27. कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि — सदस्य
28. टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स का एक प्रतिनिधि — सदस्य
29. प्रत्येक सम्भाग से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत किसी एक स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि — सदस्य

कौंसिल की मीटिंग प्रति तीन माह में आयोजित की जावेगी। गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जावेगा। कौंसिल स्थाई होगी एवं इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

स्टेट रोड़ सेफ्टी कौंसिल के कार्य

1. सड़क इंजीनियरिंग
   (ए) दुर्घटना बाहुल्य एवं संभावित स्थानों की रोड़ इंजीनियरिंग का अध्ययन कर उनको ठीक कराने के प्रस्ताव की समीक्षा उपरान्त क्रियान्विति कराना।
   (बी) राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के निर्माण से पूर्व न्यूनतम सुरक्षा प्रमापों का निर्धारण।
2. राज्य सरकार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के मामलों में सलाह देना।
3. सड़क सुरक्षा एवं यातयात प्रबंधन कार्य करने वाले विभागों/एजेन्सियों में समन्वय स्थापित करना।
4. दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ट्रोमा अस्पतालों के लिए न्यूनतम सुविधाओं का निर्धारण।
5. सडक सुरक्षा के लिए निर्धारित प्रमापों की जांच करना।
6. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से संबंधित सुझावों का परीक्षण एवं शिकायतों का निस्तारण।
7. सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों, विधि के प्रावधानों की क्रियान्विति की मोनिटरिंग।
8. सड़क उपयोग करने वालों के व्यवहार, सड़क सुरक्षा व यातायात प्रबंधन नीतियों, यातायात नियमों के प्रति जन चेतना, प्रचार–प्रसार आदि का कार्य।
9. सड़क दुर्घटना की जांच, आंकडे एकत्र करने, रिपोर्ट लेने व उनका विश्लेषण करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना।
10. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के लिए सड़कों पर पदयात्रियों, बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं, विकलांगों आदि के लिए अलग से प्रावधान करना।
11. सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अन्य संबंधित सभी कार्य।

कार्य विधि–

1. कौंसिल द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के लिए निर्णय लिये जावेंगे तथा उनकी क्रियान्विति संबंधित विभागों के माध्यम से कराई जावेगी। कौंसिल के निर्णय संबंधित मंत्रीगण एवं प्रमुख शासन सचिवगण को क्रियान्विति हेतु भिजवाये जायेंगे।
2. लिए गए निर्णय एवं क्रियान्विति की प्रगति से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जावेगा।
3. कौंसिल सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन के संबंध में सीधे विभागों, जिला प्रशासन बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगा, जो इनकी क्रियान्विति हेतु बाध्य होंगे।

आज्ञा से

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
शासन विशिष्ठ सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. मुख्य सचिव, महामहीम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर।

19. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
21. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, जयपुर।
23. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल सामाजिक एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
24. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
25. निजी सचिव, मुख्य अभियंता, सड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
26. महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच.ए.आई, एफ–120, जनपथ,श्यामनगर, जयपुर।
27. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
28. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन निर्माता।
29. प्रतिनिधि, दुपहिया पहिया मोटर वाहन निर्माता।
30. प्रतिनिधि, चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स।
31. प्रतिनिधि, दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स।
32. प्रतिनिधि, ट्रक ऑपरेटरर्स यूनियन।
33. प्रतिनिधि, स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
34. प्रतिनिधि, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
35. प्रतिनिधि, टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
36. प्रतिनिधि, सम्भाग स्तर से सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था।
37. उप परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा), परिवहन विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित हैं।
38. रक्षित पत्रावली।

2/8/16

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी